न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 61ए/2021

प्रार्थीगण :–

01.भाकरराम पुत्र भोमाराम उम्र 57 वर्ष
02.जालाराम पुत्र भोमाराम उम्र 65 वर्ष
03.सुखराम पुत्र खेताराम उम्र 55 वर्ष
04.भंवरलाल पुत्र खेताराम उम्र 53 वर्ष जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अप्रार्थीगण :–

01.श्रीमती कमला पत्नी हीराराम
02.श्रीमती वरजू पत्नी देवाराम
03.श्रीमती धमूडी पत्नी गोपाराम
04.हीराराम पुत्र कोजाराम जातियान बिश्नोई निवासीगण ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर
05..राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

अधिवक्ता उपस्थितः–

01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मोतीसिह राजपुरोहित प्रहलादसिह राजपुरोहित उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण संख्या 1,3,4, की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।
03.शेष अप्रार्थीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक :– 12/2/2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त कब्जाशुद्वा काश्तशुद्वा पुश्तैनी खातेदारी भूमि वाके खसरा नम्बर 342 रकबा 28 बीधा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 345 रकबा 54 बीधा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कुल खसरान 2 कुल रकबा 82 बीधा 19 बिस्वा एव खसरा नम्बर 346 रकबा 103 बीधा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कुल खसरान 03 रकबा 186 बीधा 11 बिस्वा वाके ग्राम कांकाणी पटवार क्षेत्र कांकाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर मे स्थित है जिसमे प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एव अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। विवादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का चालू जमाबन्दी मे गलत रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज कर लिया गया जो कि बिना बंटवाडे एव बिना प्रार्थीगण की सहमति से किया गया है। वादग्रस्त भूमि मे वक्त सेटलमेन्ट से ही प्रार्थीगण के पिता भोमाराम वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज रहे एव उसी 1/2 हिस्से पर वर्तमान मे प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से मे काश्त है एव उसी अनुसार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे अपना हिस्सा घोषित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रतिवादीगण के पिता गोपाराम हीराराम व देवाराम तीनो का संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा माफिक पैतृक हकूक के बनता है परन्तु चालु जमाबन्दी मे अप्रार्थीगण कमली एव वरजू के नाम अलग अलग 1/3 हिस्सा दर्शाया जा रहा है जो कि गलत है जबकि इन दोनो का अलग अलग रूप से 1/4 हिस्सा बनता है इसी प्रकार से अप्रार्थीनी घमूडी का खसरा नम्बर 346 मे गलत तौर 2/3 हिस्सा चालू जमाबन्दी मे दर्ज किया है जो कतई सही नही है। प्रतिवादीनी घमूडी खसरा नम्बर 346 मे 1/2 हिस्से की खातेदार होने का हक रखती है उपरोक्त परिस्थितियो मे प्रार्थीगण के पास वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण खातेदार होने की घोषणा करवाने एव उपरोक्त

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

घोषणा के अनुसार बंटवाडा करवाने के हकदार है इसलिये प्रार्थीगण के पास यह वाद पेश करने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहता है वर्तमान मे उक्त खसरान की कृषि भूमियॉ राजस्व रेकर्ड मे सहखातेदार के रूप मे ही दर्ज है जिसकी राजस्व नक्शे मे किसी प्रकार की कोई तरमीम दर्ज नही है। इन तमाम खसरान मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल नही करे एव न ही किसी प्रकार से विशेष भू–भाग पर कब्जा करे एव न ही किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण करे एव न ही प्रार्थीगण को काश्त करने मे किसी प्रकार की कोई अडचन पैदा करे एव मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति कायम हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को समन जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,3,4 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थी गण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खेत ग्राम काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर की सीमा मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या की सहखातेदारी की कृषि भूमियो वाके ग्राम काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 342 रकबा 28.17 बीधा खसरा नम्बर 345 रकबा 54.02 बीधा खसरा नम्बर 346 रकबा 103.12 बीधा भूमि आई हुई स्थित है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे एव मौके व राजस्व रेकार्ड यथास्थिति बनाई रखे विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को बेचान नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे दखलअन्दाजी नही करे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुए बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम काकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर मे खसरा नम्बर 342 रकबा 28.17 बीधा खसरा नम्बर 345 रकबा 54.02 बीधा खसरा नम्बर 346 रकबा 103.12 बीधा भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त सहखातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है अप्रार्थीगण को अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त निरन्तर बेरोक टोक शातिपूर्वक तौर पर चला आ रहा है शेष अप्रार्थीगण का भी अपने अपने हक हिस्से पर कब्जा काश्त है अगर प्रार्थीगण इस स्थगन आदेश की आड मे अप्रार्थीगण को बेदखल करने मे कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण के बनिस्पत अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई करना संभव नही होगा। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदारो के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी रूप से उचित प्रतीत नही होता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त कब्जाशुद्वा काश्तशुद्वा पुश्तैनी खातेदारी भूमि वाके खसरा नम्बर 342 रकबा 28 बीधा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 345 रकबा 54 बीधा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कुल खसरान 2 कुल रकबा 82 बीधा 19 बिस्वा एव खसरा नम्बर 346 रकबा 103 बीधा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कुल खसरान 03 रकबा 186 बीधा 11 बिस्वा वाके ग्राम कांकाणी पटवार

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

क्षेत्र कांकाणी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर मे स्थित है इस मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त सहखातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है विवादग्रस्त भूमि मे एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदारो के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी नही है क्योकि भूमि उपरोक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का हक–हिस्से के अधिकार सामन रूप से बनते है एवम्र प्रार्थीगण द्वारा किस आधार पर एव तथ्यो पर खूद को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित करवाना चाहते है जिसका पूरे दावे एवम्र प्रार्थना पत्र मे कही भी उल्लेख नही किया गया। ऐसी स्थिति मे स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी रूप से उचित प्रतीत नही होता हैं। इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः–प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

(पुखराज कांसोटिया आर,ए,एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 12/2/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी